राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(18)ग्रावि / नरेगा / Technical Matter / 2014 जयपुर, दिनांकः 03 MAR 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2022 को महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि / नरेगा / जिला स्तरीय समीक्षा बैठक / 2016–17 दिनांक 25.02.2022।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनान्तर्गत अनुमत कार्यो की सूची में सम्मिलित 262 कार्यो में से विभिन्न प्रकार के कार्यो का चयन कर कार्यो की स्वीकृतियां जारी की जावे जिससे ग्राम पंचायतों में पंजीकृत परिवारों की मांग के अनुसार कार्यो की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा मांग के अनुसार श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके। कार्यो का चयन इस प्रकार से किया जावे कि व्यय की जाने वाली राशि से उपयोगी परिसम्पति का सृजन हो। इस सम्बन्ध में विभाग के पूर्व निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्वीकृत किए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी से कार्य के सम्बन्ध में तकनीकी रिपोर्ट ली जावे, जिससे उस कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम (Out Come) का उल्लेख हो।
2. योजनान्तर्गत कंवर्जेस के तहत लाईन विभागों से समन्वय कर अधिकाधिक कार्यो की स्वीकृतियां जारी की जावे तथा लाईन विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यो का भी समय–समय पर निरीक्षण भी करवाया जाये।
3. अधिनियम की अनुसूची–1 के पैरा (1) iv के बिन्दु संख्या (VII) के अनुसार "Production of Building Material required for Construction works under the Act as a part of the estimate of such coustruction works." एक अनुमत गतिविधि है। अतः भवन निर्माण हेतु ईंट एवं सड़क निर्माण हेतु इंटरलॉकिंग टाईल्स (एम–30) का निर्माण योजनान्तर्गत करवाए जाने के कार्य लिये जा सकते है, अतः निर्माण सामग्री का उत्पादन, गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए किया जावे।
4. योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्य स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। अतः योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के व्यक्तिगत लाभ के अधिकाधिक कार्य स्वीकृत किए जाए, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकें। कार्यो को स्वीकृत करने की कार्यवाही इसी माह में कर ली जावे ताकि प्रत्येक राजस्व ग्राम में श्रमिकों को नियोजन करने हेतु

पर्याप्त मात्रा में उपयोगी कार्य उपलब्ध हों। Category 'B' के तहत आने वाले कार्यो को प्राथमिकता दी जावे तथा श्रमिक नियोजन भी इस प्रकार किया जावे कि ये कार्य अधिकतम एक वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जावें। इसकी आपके स्तर से लगातार समीक्षा की जावे।

5. योजनान्तर्गत कराए जा रहे कार्यो की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं समय पर पूर्णता सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस